आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 472/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

डीसीबी बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय : एस–5, द्वितीय तल, गीजगढ़ टॉवर, हवा सड़क, सिविल लाईन्स, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री कमलेश कुमार शर्मा,
2. श्रीमती श्वेता शर्मा,

पता :– 10/527, मॉडर्न हैप्पी स्कूल के सामने, मालवीय नगर, जयपुर।

एवं ऑफिस नम्बर 207, द्वितीय तल, दी ब्रीज्म, लाल कोठी सब्जी मण्डी रोड, जयपुर।

एवं फ्लेट नम्बर एफ–1, प्रथम तल, अनुभव एन्क्लेव, प्लॉट नम्बर एच–94, सिद्धार्थ नगर–एच, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :– श्री नवीन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश   दिनांकः 19.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती श्वेता शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एफ–1, प्रथम तल, अनुभव एन्क्लेव, प्लॉट नम्बर एच–94, सिद्धार्थ नगर–एच, जयपुर क्षेत्रफल 952 वर्ग फीट एवं श्री कमलेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति ऑफिस नम्बर 207, द्वितीय तल, दी ब्रीज्म, लाल कोठी सब्जी मण्डी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 173 वर्ग फीट को बन्धक रख कर दिनांक 27.04.2018 को राशि 33,73,676/– रुपये व दिनांक 21.12.2020 को राशि 6,03,173/– रुपये कुल राशि 39,76,849/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.05.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 39,76,849/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 41,27,652.08/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28-05-2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा–14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती भूली देवी पत्नी श्री लक्ष्मण गुर्जर के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 55, स्कीम युवराज विहार, हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर क्षेत्रफल 133 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक **19.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला जयपुर (राज.)

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

डी सी बी बैंक लि० बनाम कमलेश कुमार व अन्य

प्रकरण संख्या 472/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
19.03.2023	**संशोधित आदेश** प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय हाजा में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रकरण संख्या 472/2022 व उनवानी डी सी बी बैंक लि० बनाम कमलेश कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के पैरा संख्या 5 में अप्रार्थी श्रीमती श्वेता शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति फ्लैट न० एफ–1, प्रथम तल, अनुभव एन्क्लेव, प्लाट नम्बर एच–94 सिद्वार्थ नगर–एच, जयपुर क्षेत्रफल 952 वर्गफिट एवं श्री कमलेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति आफिस नम्बर 207, द्वितीय तल, दी प्रीज्म, लाल कोठी सब्जी मण्डी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 173 वर्गफिट के वजाय लिपिकीय त्रुटिवश श्रीमती भूली देवी पत्नी श्री लक्ष्मण गुर्जर के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 55, स्कीम युवराज विहार हाथोज कालवाड रोड जयपुर क्षेत्रफल 133 वर्गगज टंकित हो गया है। अतः संशोधित आदेश जारी करने का आदेश फरमावें। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में आदेश दिनांक 19.09.2022 के पैरा नम्बर 5 में लिपिकीय त्रुटिवश अन्य सम्पति का विवरण टंकित हो गया है, जिसे निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। अतः आदेश दिनांक 19.09.2022 के पैरा संख्या 5 में अप्रार्थी श्रीमती श्वेता शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति फ्लैट न० एफ–1, प्रथम तल, अनुभव एन्क्लेव, प्लाट नम्बर एच–94 सिद्वार्थ नगर–एच, जयपुर क्षेत्रफल 952 वर्गफिट एवं श्री कमलेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति आफिस नम्बर 207, द्वितीय तल, दी प्रीज्म, लाल कोठी सब्जी मण्डी रोड, जयपुर क्षेत्रफल 173 वर्गफिट पढा जावे। यह संशोधित आदेश पूर्व आदेश दिनांक 19.09.2022 का जुज भाग रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	